

महादेवी वर्मा के हिन्दी गद्य साहित्य में नारी विमर्श

शुभा शुक्ला (शोधार्थी)

ग्लोकल स्कूल कला व समाजिक विज्ञान,
ग्लोकल विश्वविद्यालय, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

प्रो.(डॉ०) मोहम्मद कामिल, (शोध निर्देशक),

ग्लोकल स्कूल कला व समाजिक विज्ञान,
ग्लोकल विश्वविद्यालय, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

विषय कथन

हिन्दी गद्य साहित्य में नारी विमर्श का प्रारम्भ छायावाद से माना जाता है। नारी विमर्श में नारी जीवन की अनेक समस्याओं को उजागर किया जाता है। महादेवी वर्मा ने अपने गद्य साहित्य में नारी की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। इनका निबंध 'शृंखला की कड़ियाँ' नारी विमर्श का सार्थक उदाहरण है। उन्होंने नारियों की दीन-हीन दशा पर जो कार्य किया है, उसकी कल्पना करना कठिन है। नारियों के हितों की रक्षा के लिए जीवन भर कार्य करती रहीं। क्योंकि वे खुद एक नारी थी इसलिए उनकी समस्याओं को भली भाँति जानती और समझती थीं। नारियों की दशा को व्यक्त करती हुई लिखती है –“पुरुष के अन्धानुसरण ने स्त्री के व्यक्तित्व को अपना दर्पण बनाकर उसकी उपयोगिता तो सीमित करी ही दी, साथ ही समाज को भी अपूर्ण बना दिया। पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दया; पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, स्त्री क्षमा; पुरुष शुष्क कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति और पुरुष बल है, स्त्री हृदय की प्रेरणा।”¹

संकेतक : समाज में नारी, परिवार में नारी

प्रस्तावना

समाज में नारी

प्राचीन काल से ही समाज में नारी को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका, जिसकी वह अधिकारिणी है। वर्तमान में भी नारी को समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में नारी की स्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है किंतु इतना नहीं हुआ जिससे कहा जा सके कि समाज में नारी को वह स्थान प्राप्त हो गया है जिसकी वह अधिकारिणी है। आज वह पहले की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन, सामाजिक क्षेत्र में स्वच्छंद होने के बावजूद वन्दिनी ही है। आज की नारी की विषय में कहा जाता है—“आज की विद्रोहशील नारी व्यावहारिक जीवन में अधिक कठोर है, गृह में अधिक निर्मम और शुष्क, आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वाधीन, सामाजिक क्षेत्र में अधिक स्वच्छन्द, परन्तु अपनी निर्धारित रेखाओं की सकंीर्ण सीमा की वन्दिनी है।”²

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कई युग बीत गये। समाज में बहुत कुछ परिवर्तित हो गया किन्तु नारी की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। नारी के भाग्य के विषय में कहा जाता है—“युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गये, संस्कृतियाँ लुप्त हो गईं, जातियाँ मिट गईं, संसार में अनेक असम्भव परिवर्तन सम्भव हो गये, परन्तु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की वज्रलेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी।”³ पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का महत्व बताया जाता है कि वे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, परन्तु नारी के महत्व को अनदेखा कर दिया जाता है। यदि पुरुष धन कमाता है तो स्त्री भी तो सन्तान का पालन—पोषण कर अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करती है तो फिर उसे वह अधिकार क्यों नहीं मिलता, जो पुरुषों को मिलता है? पुरुषों की भाँति वह भी अपने कर्त्तव्य का पालन करती है लेकिन उसे उसके अधिकारों से वंचित रखा जाता है —“यदि पुरुष धनोपार्जन कर अपने कर्त्तव्य का पालन करता हुआ समाज तथा देश का आवश्यक और उपयोगी अंग समझा जाता है, राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारों का यथेष्ट उपभोग कर सकता है तो स्त्री गृह में भविष्य अनिवार्य सन्तान का पालन—पोषण कर अपने गुरु कर्त्तव्य का भार वहन करती हुई इन सब अधिकारों से अपरिचित तथा वंचित क्यों रखी जाती है?”⁴

नारी को शिक्षा से वंचित कर, अधिकार—विहीन कर, समाज में बराबरी का दर्जा न देकर फिर उससे स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक की आशा करना बेकार है —“संसार की प्रगति से अनभिज्ञ, अनुभव—शून्य, पिंजरबद्ध पक्षी के समान अधिकार—विहीन, रुग्ण, अज्ञान नारी से फिर शक्ति—सम्पन्न सृष्टि की आशा की जाती है, जो मृगतृष्णा से तृप्ति के प्रयास के समान ही निष्फल सिद्ध होगी।”⁵

उच्च शिक्षा प्राप्त नारियों ने भी सामान्य नारियों की तरफ से मुँह मोड़ लिया है। वे अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। वे अन्य नारियों के विषय में सोचती ही नहीं हैं, उनके अधिकारों के लिए पैरवी करने की बात करना बेमानी है। शिक्षित नारियों के इस व्यवहार की वजह से सामान्य नारियाँ उनसे आशा करना छोड़ देती हैं।

जब नारी ही नारियों की समस्याओं को नजरअंदाज करने लगीं तो फिर वे किससे अपने अधिकारों के लिए आशा करें—“शिक्षा, चिकित्सा आदि विभागों में कार्य करने वाली जागृत महिलाओं ने अपना एक भिन्न समाज बना डाला है जिसने उन्हें गृहिणियों के प्रति स्नेहशून्य और गृहिणियों को उनके प्रति संदिग्ध कर दिया है। ने वे अपनी निर्दिष्ट संकीर्ण सीमा से बाहर पैर रखना चाहती हैं न किसी को अपने निकट आने की आज्ञा ही देती हैं।”

पुरुषों की अपेक्षा नारी में अनेक गुण विद्यमान होते हुए भी वह समाज में अपना स्थान नहीं बना पायी है। नारी अपने साथ दूसरों का भी ध्यान रखती है। पुरुष की तुलना वृक्ष से तथा नारी की तुलना लता से की जाती है—“पुरुष को यदि ऐसे वृक्ष की उपमा दी जाय, जो अपने चारों ओर के छोटे-छोटे पौधों का जीवन-रस चूस-चूस कर आकाश की ओर बढ़ता जाता है तो स्त्री को ऐसी लता कहना होगा, जो पृथ्वी से बहुत थोड़ा-सा स्थान लेकर, अपनी सघनता में बहुत-से अंकुरों को पनपाती हुई उसे वृक्ष की विशालता का चारों ओर से ढक लेती है। वृक्ष की शाखा-प्रशाखाओं को काट कर भी हम उसे एकाकी जीवित रख सकते

हैं, परन्तु लता की, असंख्य उलझी-उलझी उपशाखाएँ नष्ट हो जाना ही उसकी मृत्यु हैं।”

प्राचीन काल से ही समाज में नारी को सजीव न मानकर उसे पाषाणप्रतिमा माना गया। उसे जीने के लिए ऐसा परिवेश ही नहीं मिला जिसमें वह अपने विषय में कुछ भी सोच सके। उसे समाज में जैसा रखा गया वह वैसे ही रहना सीख गई —“हमारे समाज ने उसे पाषाणप्रतिमा के समान सर्वदा एकरूप, एकरस, जीवित मनुष्य के स्पन्दन, कम्पन और विकार से रहित होकर जीने की आज्ञा दी है, अतः युगों से इसी प्रकार जीवित रहने का प्रयास करते-करते यदि वह निर्जीव-सी हो उठी तो आश्चर्य ही क्या है!”

नारी जीवन के कष्टों में कमी होने की बजाय और बढ़ती जा रही है जिससे उसका समाज में जीना दूभर हो गया है। वर्तमान में नारी अपहरण की समस्या ने उसकी समस्याओं को और बढ़ा दिया है। उसके साथ इतने अत्याचार होने के बावजूद समाज की निद्रा जागी नहीं है—“इतने प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों को देकर भी स्त्रीके दुर्भाग्यको सन्तोष नहीं हुआ, इसका प्रमाण आज की नारी-अपहरण की समस्या है। नारी-जीवन की उस करुण कहानी का इससे घोरतर उपसंहार और हो भी क्या सकता था?

जिस रूप से, जिन साधनों के द्वारा इस लोमहर्षक कार्य का सम्पादन हो रहा है उसे सुनकर निर्जीव भी जाग जाते, परन्तु हमारी निद्रा तो मृत्यु की महानिद्रा को भी लजा देनेवाली हो गई है, बिना सर्वनाश के उसका टूटना सम्भव नहीं।”

समाज पशु-पक्षियों को, पाषाणों को तो सहानुभूति दे सकता है किन्तु नारी को नहीं। वह केवल उससे गुलामो जैसा व्यवहार कर सकता है। देवताओं की भूख का ध्यान रखा जा सकता है, नारी की भूख का नहीं—“हम पशु-पक्षियों को, पाषाणों को, अपनी सहानुभूति बाँट सकते हैं, नारी को निर्मम आदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाते। देवता की भूख हम समझते हैं, परन्तु मानवी की नहीं।”

समाज में प्रचलित दहेज प्रथा नारियों के लिए एक अभिशाप है। वर-पक्ष कन्या के पिता से कन्या के भरण-पोषण के नाम पर दहेज की मांग करते हैं। कन्या के भावी पति की पढ़ाई, रोजगार और विदेश जाने का कारण बताकर कन्या पक्ष को दहेज के लिए मजबूर किया जाता है—“वे प्रायः पत्नी के भरण-पोषण का भार ग्रहण करने के पहले भावी श्वसुर से कन्या के जन्म देने का भारी कर वसूल करना चाहते हैं। एक विलायत जाने का खर्च चाहता है, दूसरा यूनीवर्सिटी की पढ़ाई समाप्त करने के लिए रुपया चाहता है, तीसरा व्यवसाय के लिए प्रचुर धन माँगता है।”

परिवार में नारी

नारी की दशा के लिए समाज के साथ-साथ परिवार भी जिम्मेदार है। जिस परिवेश में पुरुष का विकास होता है उससे भिन्न परिवेश में नारी का विकास होता है। उसे परम्परागत रूढ़ियों का पालन करना होता है। परिवार उसके स्वच्छन्द विकास में बाधक बनता है। उसे जन्म से ही परिवार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पिता के घर में, ससुराल में दोनों ही जगह उसकी यथास्थिति में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता। ससुराल में उसे वही परिवेश मिलता है जो वह अपने पिता के घर में देखती चली आ रही है।

नारी अभिशाप उसके जन्म के साथ ही उसे धरोहर के रूप में मिल जाता है। माता-पिता का सबसे पहला ध्यान उसके विवाह की ओर जाता है। यदि कन्या माता-पिता के किसी आनुवांशिक बीमारी के कारण बीमार रहती है तो भी इसके लिए उसका ही दोष समझा जाता है। इस बीमारी के कारण यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह के लिए समर्थ नहीं होती तब भी उसका विवाह कर दिया जाता है—“जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, माता-पिता का ध्यान सबसे पहले उसके विवाह की कठिनाइयों की ओर गया। यदि वह रोगी माता-पिता से पैतृक धन की तरह कोई रोग ले आई तो भी उसके जन्मदाता अपने दुष्कर्म के उस कटु फल को पराई धरोहर कह-कहकर किसी को सौंपने के लिए व्याकुल होने लगे। चाहे कन्या को कुष्ठ हो; चाहे यक्ष्मा और चाहे कोई अन्य रोग, परन्तु विवाह के अतिरिक्त उसके जीने का अन्य साधन नहीं।”¹²

परिवार में जन्म से नारी के प्रति भेदभाव शुरू हो जाता है। बचपन में कुछ समय खेल में बीत जाता है। थोड़ी बड़ी होने पर घर के कार्यों में संलग्न कर दी जाती है। जहाँ बेटे के लिए शिक्षा से लेकर अनेक अधिकार की बात की जाती है, वहीं बेटी को पराया धन समझकर उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है—“जीवन के आरम्भिक वर्ष कुछ खेल में, कुछ गृहकार्यों के सीखने में व्यतीत कर जब से वे केवल शाब्दिक अर्थवाले अपने गृह में चरण रखती हैं तब से उपेक्षा और अनादर की अजस्र वर्षा में ठिठुरते हुए मृत्यु के अन्तिम क्षण गिनती हैं। स्वत्वहीन धनिक महिलाओं को यदि सजे हुए खिलौने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो साधारण श्रेणी की स्त्रियों को क्रीतदासी का दुर्भाग्य।”

जिस घर में जन्म लेकर बेटा अपने शारीरिक, मानसिक विकास की ओर अग्रसर होता है, उसी घर में बेटों को उसकी नियति पर छोड़ दिया जाता है। उसकी इच्छाओं, अभिलाषाओं को यह कहकर दरकिनार कर दिया जाता है कि वह अपनी इच्छाओं को अपने ससुराल में पूरा करेगी। ससुराल में भी उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कितने अधिकार दिए जाते हैं? किसे से छुपा नहीं है—“अपने पितृगृह में उसे वैसा ही स्थान मिलता है जैसा किसी दुकान में उस वस्तु को प्राप्त होता है जिसके रखने और बेचने दोनों ही में दुकानदार को हानि की सम्भावना रहती है। जिस घर में उसके जीवन को ढलकर बनना पड़ता है, उसके चरित्र को एक विशेष रूप—रेखा धारण करनी पड़ती है, जिस पर वह अपने शैशव का सारा स्नेह ढुलकाकर भी तृप्त नहीं होती उसी घर में वह भिक्षुक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।”¹⁴

नारी को पितृगृह में जीवित रहने के अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं मिलता तो पतिगृह में भी उसे उपेक्षित प्राणी के रूप में ही अपना शेष जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यदि वह पति के अनुसार विदुषी नहीं है, सुन्दर नहीं है, सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ है, किसी बीमारी से ग्रस्त है और उसकी अनेक इच्छाओं की पूर्ति करने में अक्षम है तो उसका जीवन नारकीय हो जाता है—“पतिगृह, जहाँ इस उपेक्षित प्राणी को जीवन का शेष भाग व्यतीत करना पड़ता है, अधिकार में उससे कुछ अधिक परन्तु सहानुभूति में उससे बहुत कम है

इसमें संदेह नहीं। यहाँ उसकी स्थिति पल भर भी आशंका से रहित नहीं। यदि वह विद्वान पति की इच्छानुकूल विदुषी नहीं है तो उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता है, यदि वह सौन्दर्योपासक पति की कल्पना के अनुरूप अप्सरा नहीं है तो उसे अपना स्थान रिक्त कर देने का आदेश दिया जा सकता है, यदि वह पति—कामना का विचार करके सन्तान या पुत्रों की सने नहीं दे सकती, यदि वह रुग्ण है या दोषों का नितान्त अभाव होने पर भी पति की अप्रसन्नता की दोषी है तो भी उसे उस घर में दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा।”¹⁵

कन्या के विवाह के लिए भावी वर-पक्ष द्वारा उसकी शिक्षा, दीक्षा, रंग, रूप, आकार आदि के विषय ऐसे जाँच-पड़ताल करते हैं; जैसे प्राचीन काल में दासियों को खरीदने से पहले किया जाता था। लड़का अनपढ़, गँवार, कुरूप, व्यसनी, नशेबाज आदि अवगुणों से भरपूर हो तब भी लड़की सर्वगुण सम्पन्न होनी चाहिए—“जिस प्रकार भावी पति-परिवार के व्यक्ति उसे चलाकर, हँसाकर, लिख-पढ़ा कर देखते हैं तथा लौटकर उसकी लम्बाई-चौड़ाई, मोटापन, दुबलापन, नखशिख आदि के विषय में अपनी धारणाएँ बताते हैं, उसे सुनकर दास-प्रथा के समय बिकने वाली दासियों की याद आये बिना नहीं रहती।”

पति के व्यसनी होने या रोगी होने पर नारी की समस्याओं और बढ़ जाती हैं। उसे अपने साथ-साथ अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए अथक संघर्ष करना पड़ता है—“यदि पुरुष व्यसनी है, रोगी है तो अपने और बालकों के भरण-पोषण की समस्या मृत्यु से भीषणतर बनकर उनके सम्मुख उपस्थित हो जाती है। यदि भाग्य में वैधव्य लिखा होता है तो उनके साथ भिक्षाटन भी स्वीकार करना पड़ता है।”

उच्च वर्ग की नारियों को उसके अधिकार तो मिलने लगे हैं किन्तु मध्यम वर्ग की नारियों को अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्हें अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं की बली देनी पड़ती है। शारीरिक एवं मानसिक क्लेशों के कारण वे पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करने को बाध्य हैं—“मध्यम गृहस्थ की गृहिणी को अपनी इच्छाएँ, अभिलाषाएँ कुचल कर जीवित रहना पड़ता है और इसके साथ ही शारीरिक क्लेशों का अन्त न होने से उनका सम्पूर्ण जीवन अज्ञान पशु के जीवन की स्मृति दिलाता रहता है।”

निम्न वर्ग की नारियों की स्थिति और भी निराशाजनक है। उन्हें सुबह शाम घर के काम, बच्चे के देखभाल के साथ-साथ बाहर जाकर सुबह से शाम तक मजदूरी करनी पड़ती है और शाम को शराबी पति के अत्याचारों को भी सहन करना पड़ता है—“सबरे 6 बजे, गोद में छोटे बालक को तथा भोजन के लिए एक मोटी काली रोटी लेकर मजदूरी के लिए निकली हुई स्त्री जब 7 बजे सन्ध्या समय घर लौटती है तो संसार भर का आहत मातृत्व मानो उसके शुष्क ओठों में कराह उठता है। उसे श्रान्त, शिथिल शरीर से फिर घर का आवश्यक कार्य करते और उस पर कभी-कभी मद्यप पति के निष्ठुर प्रहारों को सहते देखकर करुणा को भी करुणा आये बिना नहीं रहती।”

नारी पुरुषों के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर चलना चाहती है। वह पुरुष का प्रत्येक परिस्थिति में साथ देना चाहती है किन्तु पुरुष को यह मंजूर नहीं। उसके प्रत्येक कार्य को सशक्त नजर से देखा जाता है—“यदि स्त्री पग-पग पर अपने आसुँओं से उसका मार्ग गीला करती चले, तो यह पुरुष के साहस का उपहास होगा,

यदि वह पल-पल में उसे कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य सुझाया करे तो यह उसकी बुद्धि को चुनौती होगी, और यदि वह उसका साहचर्य छोड़ दे तो यह उसके जीवन की रूक्षता के लिए दुर्वह होगा।”

सन्दर्भ-ग्रंथ

1. महादेवी वर्मा, शृंखला की कड़ियाँ, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2008
2. सं. रामजी पाण्डेय, महादेवी : प्रतिनिधि गद्य-रचनाएँ, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दिल्ली, 1983
3. तामोको किकुचि, महादेवी वर्मा की विश्वदृष्टि, परमेश्वरी प्रकाशन, दिल्ली, 2009
4. डॉ. विमलेश तेवतिया, महादेवी वर्मा व्यक्तित्व और कृतिव, अमर प्रकाशन, मथुरा, 2008
5. डॉ. रामकिशोर शर्मा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, विद्या प्रकाशन, इलाहाबाद, 1994
6. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2019
7. रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य एवं संवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2002